संख्या- 700 /59-सतावन/बजट/स0ना0उ0/2004-2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
नागरिक उड्डयन,
उत्तरांचल देहरादून।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादून:दिनांक: 1- फरवरी,2005

विषय:- 01-वेतन मद में धनराशि का पुर्नविनियोजन द्वारा स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-373/59-सतावन/बजट/ स0ना0उ0/2004-05 दिनांक 18 अगस्त 2004 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 2004 द्वारा मानक मद 01-वेतन मे आवंटित कुल रुपये 10.00 लाख की धनराशि कम पड़ने के कारण अतिरिक्त रुपये 5.00 लाख (रुपये पाँच लाख मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम-15 के प्रपत्र के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग करके व्यय हेतु श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि मितव्ययता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा ।

2- शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध शासनादेश संख्या- 373/59-सतावन/बजट/ स0ना0उ0/2004-2005 दिनांक 18 अगस्त, 2004 के अनुरूप ही रहेंगे।

3- उक्त मदो में व्यय उक्तानुसार आवंटन की सीमा में ही सीमित रखा जायेगा।

4- व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनमें अब यह आवंटन किया जा रहा है।

5- इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक 3053 नागर विमानन 80-सामान्य-आयोजनेतर-003- प्रशिक्षण तथा शिक्षा-03 नागरिक उड्डयन- 00- के अन्तर्गत संलग्न में उल्लिखित विवरणानुसार सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 588/वि0अनु0-3/2004 दिनांक 28 फरवरी,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्या- 700 /59-सतावन/बजट/स0ना0उ0/2004-2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- वित्त अनुभाग-3
4- गार्ड बुक।
5- एनआईसी, सचिवालय।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

आय व्ययक,पपत्र–15 पुर्नविनियोग–2004–2005 (लाख में)

आयोजनेतर से आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी, सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तरांचल शासन, प्रशासनिक विभाग, अनुदान संख्या–24

(रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3053–नागर विमानन– 80 सामान्य आयोजनेतर–003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उड्डयन–06 अन्य भत्ते 12.50	2.52	4.98	5.00 (क)	3053–नागर विमानन–80–सामान्य–आयोजनेतर–003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03 नागरिक उड्डयन–01–वेतन 5.00(ख)	15.00	7.50	(क) आवश्यकता न होने के कारण (ख) आवश्यकता अधिक व बजट प्राविधान पर्याप्त न होने के कारण
12.50	2.52	4.98	5.00	5.00	15.00	7.50	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 15, 156 में उल्लखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी0सी0शर्मा)
सचिव ।

वित्त विभाग
वित्त अनुभाग–3
उत्तरांचल शासन ।

संख्या– 568 /XXXVII/(3)2005,दिनाँक 28 –2–2005

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(के0सी0 मिश्रा)
अपर सचिव वित्त

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल
ओबेराय मोटर बिल्डिंग,माजारा,देहरादून।

संख्या–700 /59–सत्तावन/बजट/सा0ना0उ0/2004–2005,समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

2– वित्त अनुभाग–3

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव